ई–मेल

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (बेली रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0– 0612–2217
फैक्स– 0612–2215011/22
ई–मेल– ceo_bihar@eci.g

पत्रांकः एम–01–16/2020 4509 पटना, दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 ई0।

प्रेषक

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संपादक,
दैनिक हिन्दुस्तान,
पटना/मुजफ्फरपुर।

विषयः– दिनांक–11.10.2020 को दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में "बिहार भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट की जाँच होगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के खंडन के संबंध में।

प्रसंगः– दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक–11.10.2020 को प्रकाशित समाचार।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि निर्वाचन विभाग द्वारा परिवादी श्री विश्वजीत सिंह के परिवाद पत्र में लगाये गए आरोंपो को जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है परन्तु प्रकाशित समाचार में काफी बढ़ा–चढ़ा कर भ्रामक बातें कही गई है, जो युक्तिसंगत नहीं है। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक एवं विषयांकित प्रकाशित समाचार का खण्डन प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन

11/10/20

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

हिन्दुस्तान

1 OCT 202

बिहार भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच होगी

पटना/मुजफ्फरपुर | हिन्दुस्तान टीम

चुनाव आयोग ने बिहार भाजपा के फेसबुक पेज पर बीते कुछ दिनों में किए गए पोस्ट की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि बिहार भाजपा ने बिना मीडिया सर्टिफिकेशन के पीएम के भाषण समेत अन्य प्रचार संबंधी सामग्री पेज पर पोस्ट की है। ये पोस्ट 26 सितम्बर से लेकर एक अक्टूबर की अवधि के हैं।

जांच का आदेश निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद ने दिया है। सभी डीएम को कहा गया है कि वे बिहार भाजपा के फेसबुक पर उक्त अवधि में किए गए पोस्ट की जांच करें और इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को सूचित करें। बिहार भाजपा के जिन पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की गई है, उनमें प्रधानमंत्री के कई संदेश व भाषण भी शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा की सोशल मीडिया टीम द्वारा कवर की गई समाचार सामग्री पर भी आपत्ति जताई गई है। इनमें राजद व एनडीए के शासनकाल

आयोग का आदेश

- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत
- सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया जांच का आदेश

विरोधी भी कर
दूसरे की निगर

तमाम राजनीतिक दलों
मीडिया पर निगरानी बढ़
चुनाव आयोग का तंत्र
कर ही रहा है, विभिन्न
दलों के मीडिया सेल भ
के सभी सोशल मीडिय
पर पैनी नजर रख रहे
ऊंच-नीच दिखने पर
आयोग तक पहुंचाया

की तुलना और दोनों में प
है। चुनाव की अधिसूच
प्रचार सामग्रियों का मीडि
अनिवार्य होता है। इसे
संहिता के दायरे में रख
आयोग से बिहार भाजपा
के सोशल मीडिया पोस्ट
गई है, वह अधिसूचना